राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –1567/2006/अजमेर

निर्मल कुमार सिंघवी पुत्र श्री कुशलराज सिंघवी जाति जैन
निवासी 2/32 साकेत नगर, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला–अजमेर .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर जिला–अजमेर
2. अशोक कुमार पुत्र श्री कुन्दनमल
3. ललित कुमार पुत्र श्री वीरनारायण
   निवासीगण साखला गली ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
4. श्रीमती कृष्णप्यारी पत्नी श्री ओमनारायण
   निवासी सन्दडा रोड, ब्यावर जिला–अजमेर .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री पुष्पेद्र सिंह
अभिभाषक। .....**प्रार्थी की ओर से.**
श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थी सं.1 की ओर से**
अनुपस्थित (एकपक्षीय बहस सुनी गई) **दिनांक : 11.07.2017**

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त अजमेर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 89/2005 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2005 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 2 लगायात 5 से ग्राम फतेहपुरिया तहसील ब्यावर की कृषि भूमि खाता नं. 11 खसरा नं. 2573 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि छः लाख रूपये में क्रय कर दस्तावेज पंजीयन हेतु उपंपंजीयक ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किये। उप पंजीयक ब्यावर द्वारा भूमि की मालियत 10,07,180/– रूपये मानते हुए कमी मुद्रांक व पंजीयन कर प्रार्थी को लौटा दी गयी। उप पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रश्नगत भूमि को आवासीय मानते हुए कमी मांग राशि को जमा नहीं करने हेतु रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर को प्रेषित किया। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर द्वारा अप्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी किये गये जिसके जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने के लिये समय चाहा गया। लेकिन नियम समय के बाद भी कोई जवाब पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 17.10.2015 को प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 39,50,948/– रूपये निर्धारित करते हुए शेष कमी मुद्रांक 3,28,104/–रूपये व पंजीयक शुल्क 14,920/– रूपये तथा शास्ति 176 रूपये कुल मांग राशि 3,43,200/– रूपये वसूल किये जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय दिनांक 17.10.2005 के आदेश पारित किये गये। कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के आदेश दिनांक 17.10.2005 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

11/07/17

लगातार.....2.

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान प्रार्थी निगरानीकर्त्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 को पारित किये गया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया है तथा प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का आधार बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **साईक्लोस्टाईल** रूप Non Speeking एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण पेश करने में विलम्ब को क्षमा करते निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 अपास्त किया जाकर उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5 बहस के दौरान अप्रार्थी राजस्व के उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए तथा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये, तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु अवसर भी चाहा किन्तु दिनांक 17.10.2005 को प्रार्थी के उपस्थित नही आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपस्थित पक्षकार राजस्व को सुनकर निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्रार्थी निगरानीकर्त्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी जिससे राजस्व की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स का खण्डन होता हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेन्स को स्वीकार करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है और न ही कोई अनियमिता कारित की है। इसलिये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6 राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पक्षकारों को जरिए प्रकाशन सुनवाई का समुचीत अवसर प्रदान किया गया इसके उपरान्त भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर निर्णय पारित किया गया। कलेक्टर द्वारा विधिक तथ्यों एवं प्रकरणों के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया, जो उचित है। कलेक्टर का निर्णय विधिक होने से

11/07/17

लगातार.....3.

इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

9. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 को पारित किया गया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2005 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। उसके पश्चात् दिनांक 21.09.2005 को भी उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया। किन्तु दिनांक 17.10.2005 को प्रार्थी के उपस्थित नही आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपस्थित पक्षकार राजस्व को सुनकर निर्णय पारित किया गया। अतः प्रार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रार्थी की यह आपत्ति कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, माने जाने योग्य नहीं है।

10. प्रार्थी के अधिवक्ता की आक्षेपित आदेश के संबंध में यह आपत्ति भी रही है कि **"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 को पारित किये गया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया है। इस लिये यह आदेश पोषणीयं नहीं है।"** प्रार्थी की ओर से की गई उक्त आपत्ति के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 एकपक्षीय पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में है तब भी प्रार्थी/वादी को अपना मामला स्वयं साबित करना होगा। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Non Speaking and Non Reasoned आदेश पारित किया गया। राजस्थान

11/07 17

लगातार.....4.

कर बोर्ड के पूर्व में पारित न्यायिक दृष्टांतों 2015(1) RRT पेज 154 तथा 2015(1)RRT पेज 157 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साईक्लोस्टाईल फोरमेट में पारित आदेश तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया आदेश है, जो विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 में रेफरेन्स को गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है तथा उक्त आदेश साईक्लोस्टाईल फोरमेट में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किये गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2005 तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थीया के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर का आदेश दिनांक 17.10.2005 को अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि विक्रेतागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाये।

12. निर्णय सुनाया गया।

11/07/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य